तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सवाईचन्द शर्मा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 69 / 2019	नं अ हु में
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सवाईचन्द शर्मा पुत्र छगनलाल निवासी आगोलाई, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2019 में उसके द्वारा (1) मु0नं0 137 / 18 ई0 नं0 117 क्रमांक 269 दिनांक 28.11, को आपके कार्यालय में दर्ज की सम्पूर्ण पत्रावली ऑर्डरशीट सहित प्रमाणित करके दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	